


08.09.2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री पी.सी. जैन उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता श्री कलीम अब्बल उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता राजेन्द्र पुरी उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलांट की मूल अपील निर्णित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना-पत्र पर अब किसी तरह की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
(अल्पा चौधरी)  
जिला कलक्टर, सिरौही